# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—298/2019/223 (2019/00298)**

1. सीतादेवी पत्नी भोलूराम, जाति मीणा, निवासी कालेड़ा कृष्ण गोपाल, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. भोलू पुत्र लादूराम, जाति मीणा, निवासी कालेड़ा कृष्ण गोपाल, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. जगदीश पुत्र रामपाल, जाति हरिजन, नि0 सूरजपोल गेट बाहर, केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंट**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 11.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 11/2016.**

**उपस्थितः—**

1. श्री भरत गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।

## निर्णय

**दिनांकः— 27.12.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय दिनांक 11.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी ने अधी0न्याया0 में अपीलांट के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 एवं 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत हाल खसरा नंबर 256, 257 कुल रकबा 1.46 है0 आराजी वाके ग्राम कालेड़ा कृष्ण गोपाल, तह0 केकड़ी बाबत् पेश किया । वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन रहते प्रकरण को लोक अदालत कैम्प कालेड़ा कृष्ण गोपाल में रखकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 का अनपढ़ होने का फायदा उठाकर कैम्प में राजीनामे पर हस्ताक्षर करवा लिया व अपीलांट को गुमराह कर निर्णय व डिक्री 11.5.2016 का वादी/अपीलांट ने वाद डिक्री करवा लिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादी/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित भूमि खसरा नंबर 256, 257, 258 रकबा 1.46 है0 बाबत् वाद पेश किये जाने पर प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में जवाबदावा प्रस्तुत कर अपना हक जाहिर किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद को लोक अदालत कैम्प में रखकर अपीलांट के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर कैम्प में राजीनामे पर हस्ताक्षर करवा लिये व अपीलांट को गुमराह रखा । रेस्पो0 के हाल खसरा नंबर जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खसरा नंबर 256, 257, 258 के मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक खरसरा नंबर 44/4/4 मिन व 44/4/5 मिन नंबर रहे है जो नक्शा ट्रेस संवत् 2027 में खसरा नंबर 44/4/4 व 44/4/5 अन्यंत्र तरमीम नक्शा ट्रेस में दर्ज है जबकि वर्तमान नक्शा ट्रेस में अपीलांट संख्या 1 की पुश्तैनी कब्जेशुदा एव ंखातेदारी की भूमि खसरा नंबर 256, 257, 264 गलत तरमीम दर्ज कर दी गई है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट संख्या 1 के वर्किग खसरा नंबर 44/4/6 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा जो नक्शा ट्रेस संवत् 2027 में भी तरमीम दर्ज है उसी अनुसार वर्तमान में भी अपीलांट निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है । रेस्पो0 का कभी भी उक्त जगह कब्जा नहीं रहा है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को गुमराह करके राजीनामा करवा कर निर्णय पारित किया है जो अपीलांट को अस्वीकार है । अपीलांट के वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार खसरा नंबर 249 रकबा 0.85 है0 व खसरा नंबर 250 रकबा 2.23 हे0 बारानी–2 दर्ज है जिसका मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक खसरा नंबर 44/4/6 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 44/4/7 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा बीड़ दर्ज रिकार्ड रहे है तथा वर्किग जमाबंदी में भी दर्ज खातेदार होकर तरमीम संवत् 2027 नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नंबर 44/4/6 नियमानुसार अंकन दर्ज होकर मूल खातेदार त्रिलोक वल्द देवा के नाम खातेदारी में दर्ज रही है जिसकी खसरा गिरदावरी संवत् 2055 से 2058 में फसल मूंग व बाजरा दर्ज है । उक्त जगह आराजियात के मिलान क्षैत्रफल अनुसार नये खसरा नंबर 249 व 250 से 1/2 हिस्सा अपीलांट न0 1 ने जरिये विक्रय पत्र मूल खातेदार त्रिलोक वल्द देवा से क्रय किया था व उसी अनुसार मौके पर आज भी काबिज काश्त है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 के नाम वर्तमान रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार खसरा नंबर 256, 257 व 264 जो वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत जगह तरमीम हुई है क्योंकि खसरा नंबर 256, 257 व 264 के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 44/4/4 मिन व 44/4/5 मिन नंबर थे जो गत् नक्शा ट्रेस संवत् 2027 में अन्यंत्र दर्ज है । इसी जगह रेस्पो0 का हक अधिकार बनता है क्योंकि रेस्पो0 ने आराजियात को जिरिये विक्रय पत्र गिरीराज पुत्र गणेश खटीक से व गिरीराज ने मूल खातेदार धन्ना पुत्र भूरा कौम नट, नि0 कालेडा कृष्ण गोपाल से क्रय किया था एवं उसी जगह पर रेस्पो0 का हक बनता है न कि अपीलांट संख्या 1 की एडवर्स पजेशनशुदा व पुरानी खातेदारी आराजियात खसरा नंबर 44/4/6 जमाबंदी संवत 2041 व नक्शा ट्रेस संवत् 2027 की जगह राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरमीम दर्ज कर दी जिसका फायदा उठाकर रेस्पो0 ने अपीलांटस को हैरान परेशान करने की नियत ये अधी0न्याया0 के

समक्ष यह वाद प्रस्तुत किया था । अधी0न्याया0 को धारा 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 के वाद में तनकीयात कायम की जाकर व मौके व कब्जे के साक्ष्य सबूत पेश किये जाने का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने लोक अदालत में वाद को रखकर अपीलांट के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर राजीनामा पर हस्ताक्षर कर वाद को डिक्री किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को पुनः निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावें ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 1 की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात पर रेस्पो0 ने अपनी आराजियात का गलत तरीमीम का फायदा उठाकर अधी0न्याया0 में अपीलांट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसे लोक अदालत में रखकर अपीलांट संख्या 1 के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर राजीनामे से दिनांक 11.5.2016 को वाद निर्णित करवा लिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा न्यायालय से नकल हेतु दिनांक 23.8.2016 को आवेदन किया जिस पर दिनांक 29.8.2016 को नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांटस की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव जैन ने पॉवर पेश किया तत्पश्चात् पत्रावली जवाब हेतु नियत की गई । दिनांक 17.12.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने जवाबदावा व फर्द दस्तावेजात पेश किये । तत्पश्चात् पत्रावली लोक अदालत कैम्प कालेड़ा कृष्ण गोपाल में दिनांक 11.5.2016 को रखी गई । उक्त दिनांक अपीलांट संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 सीता एवं वादी/रेस्पो0 जगदीश द्वारा राजीनामा प्रपत्र पेश किया गया । उक्त राजीनामा प्रपत्र में यह अंकित किया गया है कि वादी का दावा उसकी खातेदारी का स्वीकार किये जाने में मुझे को ऐतराज नहीं है । अधी0न्याया0 ने उक्त राजीनामा के आधार पर वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है । जब प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजीनामा पेश कर निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु सहमति दे दी है तो वह राजीनामें में अंकित अपने उक्त कथन से बद्ध है । अब अपील में अपने राजीनामे से इंकार करना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट के राजीनामें के आधार पर वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज

योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पायी जाती है ।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.5.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

9. निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**